



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)



परियोजना कार्यान्वयन ईकाई - नजीबाबाद | Project Implementation Unit-Najibabad

म0 न0-3ए/2, प्रथम तल, सिद्धबली विहार कॉलोनी, कोतवाली रोड, नजीबाबाद, बिजनौर (उ0प्र0) | H.No.-3A/2, 1st Floor, Siddhali Vihar Colony, Kotwali Road, Najibabad, Bijnor (UP)

दूरभाष/Phone : +91-1341-230162 | ई-मेल/E-mail: piunajibabad@nhai.org | बेबसाइट /Website : www.nhai.org

NHAI/PIU-NBD/NH-119/77009/Forest (Bijnor)/KTW BYP/2023/ 16824 Dt. 17.10.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग
नजीबाबाद।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।

विषय: जनपद- बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4 laning of Kotdwar Bypass of NH-119 connecting Najibabbad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri Road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2 from Ch. 0+000 to 5+900 तक चौड़ीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं बिजनौर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.66हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात् कुल 5.27हे0 संरक्षित एवं आरक्षित वन के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0- FP/UP/ROAD/157011/2022

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 952/11-सी- FP/UP/ROAD/157011/2022 लखनऊ, दिनांक 08.10.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 952/11-सी- FP/UP/ROAD/157011/2022 लखनऊ, दिनांक 08.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव पर परीक्षणोपरांत कमियों/अभिलेखों के अभाव से अवगत कराया गया है तथा इंगित कमियों का निराकरण कर ऑनलाइन प्रस्ताव परिवेश पोर्टल 1.0 में अपलोड कर नोडल अधिकारी के पोर्टल पर प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में सन्दर्भित पत्रांक के माध्यम से बिजनौर सामाजिक वानिकी प्रभाग व बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद से सम्बन्धित ऑनलाइन पार्ट-1 में पायी गयी कमियों का निराकरण का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं0	ऑनलाइन पार्ट-1 में पायी गयी कमी का विवरण	निराकरण
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु परियोजना में दी गई गैर वनभूमि की के0एम0एल0 फाईल, जियो रिफ्रेन्सड डिजिटल मैप, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं टोपोशीट आदि पार्ट-1 में अपलोड नहीं है।	परिवेश पोर्टल पर Complaint ID:TIC-24011480 में MoE&F,CC के द्वारा उपलब्ध कराये गये Resolution (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार "As It's a Central Govt Agency. In PARIVESH 1.0 NFL for such cases are not applicable & Cannot be filled by UA. DFO can only fill DFL details." अतः विषयांकित प्रस्ताव परिवेश 1.0 में होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण सम्बन्धी अभिलेख अपलोड किया जाना संभव नहीं है। परन्तु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के वांछित अभिलेख Additional information में अपलोड कर दिये गये हैं।
2	परियोजना में दी गयी गैर वनभूमि के सम्बन्ध में वन विभाग के नाम दर्ज खतौनी अपलोड नहीं है।	उपलब्ध करायी गयी गैर वनभूमि के सम्बन्ध में वन विभाग के नाम दर्ज खतौनी अपलोड कर दी गयी है। (छायाप्रति संलग्न)

3	प्रस्ताव के साथ Entire Tree Transplantaion (ETT) से सम्बन्धित वचनबद्धता/प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपलोड नहीं है।	Entire Tree Transplantaion (ETT) से सम्बन्धित वचनबद्धता/प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न)
---	--	--

अतः विषयांकित प्रस्ताव में ऑनलाइन पार्ट-1 में पायी गयी कमियों/EDS का निराकरण उपरोक्तानुसार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा कर दिया गया है। ऑनलाइन पार्ट-2 में पायी गयी सभी कमियों का निराकरण सम्बन्धित वन प्रभाग के माध्यम से किया जाना है। अनुरोध है कि कृपया अपने कार्यालय से सम्बन्धित त्रुटियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करने की कृपा करें।

सधन्यवाद।

भवदीय



(सरफराज-उर-रहमान)
परियोजना निदेशक
प0का0ई0-नजीबाबाद

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, बिजनौर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

PARIVESH: Complaint Management System

COMPLAINT DETAILS

Complaint ID and Proposal #	Complaint Details	Complaint Issuer Details	Feedback	Uploaded Screenshot
Complaint ID: TIC-24011480 Proposal No: 906810 Date: 27-06-2024 01:47 PM	Issue Type: FORM-B Clearance Type: Forest Clearances	Mobile No & Email: 9068102568 dfo_jansdownne@yahoo.com State & User Type: UTTARAKHAND Authority	ISSUE-Regarding online proposal number FP/UK/ROAD/45326/2020, It is requested that in part-2 of the said proposal, earlier degraded forest was selected for compensatory plantation, but as per the procedure provided by the nodal office under the new Forest Conservator Act, non-forest land has been directed to be selected for the said purpose, hence non-forest land has been selected. According to which, revised information related to compensatory plantation has to be uploaded in part 2, which is not being done. Please guide in the matter	N/A

Complaint Resolution Details

Complaint Details	Resolved Date	Resolved Remarks	Uploaded Screenshot(Resolve)	Issue Sub Category
Complaint ID: TIC-24011480 Date: 27-06-2024 01:47 PM	01-07-2024 03:56 PM	As it's a Central Govt. Agency. In PARIVESH 1.0, NFL for such cases are not applicable & Cannot be filled by UA. DFO can only fill DFL details.	N/A	KT Required

Query Details



उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

09/Oct/2024 13:39:28

ग्राम क्रमांक : 111491 ग्राम का नाम (परगना) : सबलगढ (नजीबाबाद) तहसील : नजीबाबाद जनपद : बिजनौर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1

(1) खाता संख्या : 00713

श्रेणी : 6-4 / जो अन्य कारणों से अकृषित हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व :
1215घ	1) दैड//			1215घ(1114911215200664)	17.9560	1) 1/1	1) 17.9560	0.00
							17.9560	

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- एक सात दशमलव नौ पाँच छः शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - एक सात दशमलव नौ पाँच छः शून्य (हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

09/Oct/2024 13:39:28

ग्राम क्रमांक : 111491

ग्राम का नाम (परगना) : सबलगढ (नजीबाबाद)

तहसील : नजीबाबाद

जनपद : बिजनौर

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

भाग : 1

(1) खाता संख्या : 00713

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के बाद ग्रस्त / विक्रय / भू-नक्शा / नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

09/Oct/2024 13:39:28

ग्राम क्रमांक : 111491 ग्राम का नाम (परगना) : सबलगढ (नजीबाबाद) तहसील : नजीबाबाद जनपद : बिजनौर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1

(1) खाता संख्या : 00713

(6-9 स्थान के अंक) / पता
/ जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)

1) पुनर्स्थापना : जिलाधिकारी महोदय बिजनौर द्वारा दिनांक 17.07.2024 को आदेश किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-१ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20 (5)/ 2016, दिनांक 03 जून 2016 शासनादेश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (अधिनियम संख्या 8 वर्ष 2012) उत्तर-प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथासंशोधित की, धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 एवं अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियो/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनियम की शक्तियां, उन देशाओं में राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु ग्राम पंचायतो/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित भूमियो के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनियमकर उपलब्ध कराने के प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए गाँव सबलगढ परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर के गाटा सं0 1215घ रकबा 5.270 हे0 श्रेणी-6(4) जो अन्य कारणों से अकृषिक हो, के अन्तर्गत "दैड" की भूमि को, जो अब तक, सबलगढ गाँवसभा में निहित थी, पुनर्गृहीत कर, फिर से अपने अधिकार में लेकर, वन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर, प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर, वन प्रभाग, नजीबाबाद को राष्ट्रीय राजमार्ग-119 के कोटद्वार बाईपास के किलोमीटर 0.0000 से 0.700 तक 4-लेन निर्माण हेतु 5.27 हेक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन किये जाने में प्रभावित कुल 5.270 हेक्टेयर, वन विभाग की, लोक उपयोगिता की परियोजना कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि के समतुल्य गाँव समा "दैड" भूमि, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु, वन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वनप्रभाग, नजीबाबाद के पक्ष में निःशुल्क पुनर्गृहीत कर उपलब्ध कराया जा रही है। उपरोक्त आदेश द्वारा परगना/तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर की गाँवसभा सबलगढ के गाँव सबलगढ परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर के गाटा सं0 1215घ रकबा 5.270 हे0 श्रेणी-6(4) जो अन्य कारणों से अकृषिक हो, के अन्तर्गत "दैड" की भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग-119 के कोटद्वार बाईपास के किलोमीटर 0.0000 से 0.700 तक 4-लेन निर्माण हेतु 5.270 हेक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन किये जाने में प्रभावित कुल 5.270 हेक्टेयर, वन विभाग की, लोक उपयोगिता की परियोजना कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि के समतुल्य गाँव सभा भूमि, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु, वन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद के पक्ष में, भूमि निःशुल्क पुनर्गृहीत की जा रही, उपरोक्त भूमि का, उपलब्ध कराये जाने के दिनांक से, उत्तर-प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथासंशोधित, की, धारा-59 अन्तर्गत यथानिर्दिष्ट प्रबन्धन और नियन्त्रण, अब वन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का होगा। (डिजिटल हस्ताक्षर : MUKESH SINGH/08-08-2024)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Name of Project: Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2.

Undertaking for Entire Tree Transplantation

It is to certify that sh. Sarfaraz-Ur-Rehman, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad have applied for 5.27 ha of Forest Land in favour of National Highways Authority of India for "Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2" from Km 00.000 to Km 5.900 under forest division Najibabad & Social Forestry Division, Bijnore.

I, hereby, undertake that, Entire tree transplantation will be carried out, if required, as per applicable policy for the project.

Date: 17/10/2024


(Sarfaraz-Ur-Rehman)
Project Director
NHAI, PIU, Najibabad